COURT FEE
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

(129)

Reg. 4375-PBR/16

समक्ष श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
कैम्प भोपाल

रिवीजन पिटीशन नं. : निगरानी -64 -PBR-2015
Decided on 30.11.2016

अशोक कुमार जैन .... आवेदक/पिटीशनर

विरूद्ध

राजस्व निरीक्षक .... अनावेदक/प्रत्यर्थी

Recalling the Order dated 30.11.2016 वास्ते
आवेदन–पत्र अर्न्तगत धारा 151 (अनन्य अधिकारिता)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता

आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है :–

01. यह कि, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि " **where the Court is misled by the party or the Court itself commits a mistake which prejudices a party, the Court has inherrent power to recall its order."** इण्डियन बैंक विरूद्ध मेसर्स सत्यम फायबर्स AIR 1996 SC 2592 । इस प्रकार स्पष्ट है कि माननीय राजस्व बोर्ड को असीमित अधिकार है कि ग़लती से पारित हुआ आदेश को रीकॉल करके तथा उसे सुधारकर न्यायहित में विधि सम्मत आदेश पारित करे।

02. यह कि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिवीज़न माननीय राजस्व मण्डल के क्षेत्राधिकार में है तथा सीमांकन के संबंध में अपनाई गई पूर्ण प्रक्रिया को रिवीज़न के माध्यम से चुनौती दी गई है, परन्तु दुर्भाग्य से माननीय राजस्व बोर्ड द्वारा घोर ग़लती से बिना रिवीज़न पिटीशन पढ़े ही आदेश पारित कर दिया है, जिसको पुनः खोलकर न्यायहित में विधि अनुसार पारित करना न्यायोचित है।

03. यह कि, माननीय राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश में मात्र सीमांकन संबंधित नोटिस की वैधुता के संबंध में रिवीज़न प्रस्तुत करना बताया है तथा सीमांकन हो जाने से उक्त नोटिस की वैधता की बात निरर्थक (infructuous) होने से रिवीज़न अग्राहय हो गई है, जो **तथ्यों के एकदम विपरीत है तथा मांगी गई सहायता से प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।** सीमांकन एक पूरी प्रक्रिया है, जिसको एक निश्चित समयावधि में किया

PTO-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Rev. 4375 –PBR/16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–12–2016	आवेदक अशोक जैन स्वयं उपस्थित । ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30–11–2016 एवं नायब तहसीलदार के प्रकरण का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 1–10–2015 को प्रकरण दर्ज कर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु प्रकरण में आगामी तिथि नियत नहीं की गई है, और न ही सीमांकन के निर्देश राजस्व निरीक्षक को दिये गये हैं । नायब तहसीलदार द्वारा आगे बिना किसी दिनांक के इस आशय की आदेशिका लिखी गई है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन उपरांत पंचनामा प्रतिवेदन मय नक्शा व फील्ड बुक प्रस्तुत की गई । कार्यवाही पूर्ण । सीमांकन प्रकरण अंक से कम हो । स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 129 के अंतर्गत विहित प्रकिया का पालन नहीं किया गया है, और बिना दिनांक के सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि की गंभीर भूल है । अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2016 एवं नायब तहसीलदार द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही निरस्त करते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे दो माह में आवश्यक रूप से संहिता की धारा 129 के अंतर्गत विहित प्रकिया का पालन करते हुए विधिवत सीमांकन कराकर सीमांकन आदेश पारित करें । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	